

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

//आदेश//

क्रमांक...../चार-12-14/10


जबलपुर, दिनांक...../02/2022

रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 521/गोपनीय/2021 जबलपुर दिनांक 1 जुलाई, 2021 द्वारा श्री युगल रघुवंशी, तत्कालीन उपायुक्त गैस त्रासदी, भोपाल को उच्चतर न्यायिक सेवा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत होने के फलस्वरूप उच्चतर न्यायिक सेवा के एंट्री वेतनमान रूपये 51550-1230-58930-1380-63070/- में उनके वेतन का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:-

प्रतिनियुक्ति पर जाने के पूर्व प्राप्त वेतनमान रु. 39530-54010 में प्राप्त वेतन एवं दिनांक	देय दिनांक	आगामी वेतन वृद्धि का दिनांक	उच्च न्यायिक सेवा में कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक	निर्धारित वेतन	देय दिनांक	आगामी वेतनवृद्धि का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
41530/- 25.05.2019	01.05.2019	25.05.2020	14.07.2021 (दोपहर पश्चात्) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल के पद पर।	51550/-	15.07.2021	स्थायीकरण प्रमाण पत्र जारी होने पर विचारण योग्य
42610/- 25.05.2020 (काल्पनिक वेतनवृद्धि)	01.05.2020	25.05.2021				
43690/- 25.05.2021 (काल्पनिक वेतनवृद्धि)	01.05.2021	25.05.2022				

नोट:- श्री रघुवंशी दिनांक 06.12.2019 से दिनांक 14.07.2021 (दोपहर पूर्व) तक वेलफेयर कमिश्नर, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ थे।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,



 (अजय पवार)
 रजिस्ट्रार(एम)

जबलपुर, दिनांक...../02/2022

पृष्ठांकन क्रमांक/चार-12-14/10

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. श्री युगल रघुवंशी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सहायक सेवा पुस्तिका(राजपत्रित), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

नोट:-रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2021/953 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।


 रजिस्ट्रार(एम)